

कार्यालय, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बलरामपुर

संख्या—

दिनांक

विज्ञप्ति

शासनादेश संख्या 102/सात-न्याय-2-2015-728/86 दिनांकित 18 जून 2015 के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्रांक 9948/एडमिन'जी'-1/2015 दिनांकित 29.07.2015 एवं शासनादेश संख्या 05/2020/281/VII-Nyay-2-2020153G/2019, Dated 17.02.2020 शासनादेश संख्या 1192/VII-Nyay-2-2020-101G/2022, Dated 10.01.2023 एवं सरकारी शासनादेश संख्या 196/VII-Nyay-2-20203-101G/2022, Dated 13.03.2023 पत्रांक संख्या 1928/S.F.C.M. Cell/Lucknow, Dated- 28.02.2026 में निहित दिशा निर्देश के अनुपालन में परिवार न्यायालय बलरामपुर हेतु काउंसलर (परामर्शदाता) के पद पर नियुक्ति हेतु दिनांक 27.03.2026 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। काउंसलर (परामर्शदाता) की आबद्धता के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के परामर्श से निम्न प्रक्रिया निर्धारित की गई है—

1. आवेदक उसी जिले से सम्बन्धित हो, जहां पर पारिवारिक न्यायालय स्थित हो। यदि इस तरह का कोई व्यक्ति नहीं मिलता है तो उस दशा में दूसरे जिले के लोगों को परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति की जावेगी।
2. आवेदक समाजशास्त्र या मनोविज्ञान में से किसी एक विषय में स्नातक की डिग्री रखता हो और उसे समाज सेवा का अनुभव हो। पारिवारिक काउंसिलिंग में जिन्हें दो वर्ष का अनुभव हो, उन्हें वरीयता दी जायेगी।
3. आवेदक की आयु 35 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
4. परामर्शदाता का कार्यकाल प्रारम्भ में तीन वर्ष का होगा।
5. परामर्शदाता के पद पर नियुक्ति शासकीय सेवा में नहीं मानी जायेगी और वे न्यायालय से संविदा के आधार पर सम्बद्ध रहेंगे।

दिनांक—10.03.2026

(विनोद कुमार बरनवाल)
प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय
बलरामपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु:—

1. प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय बलरामपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
2. केन्द्रीय नाजिर, जजी, बलरामपुर।
3. जिलाधिकारी, बलरामपुर।
4. तहसील, बलरामपुर।
5. रोडवेज बस स्टेशन, बलरामपुर।
6. विकास भवन बलरामपुर।
7. ~~जिला सूचना अधिकारी, बलरामपुर को स्थानीय समाचार पत्र में निशुल्क प्रकाशन हेतु।~~
8. नगर पालिका, बलरामपुर।
9. सिस्टम ऑफिसर कम्प्यूटर को मा0 उच्च न्यायालय की बेबसाइट पर डिस्प्ले हेतु।

दिनांक—10.03.2026

(विनोद कुमार बरनवाल)
प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय
बलरामपुर।